



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092026-276136
CG-DL-E-12092026-276136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4798]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4798]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4988(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में NH544 के कि.मी. 182.207 से कि.मी.235.702 (ऑफिस ऑफ द स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, एल. ए. एन. एच, पलक्कड़) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् द स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, सी.ए. एल. ए, एन.एच, पलक्कड़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश

अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में NH544 के कि.मी. 182.207 से कि.मी.235.702 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: केरल			जिले का नाम: पलक्कड़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पलक्कड़					
गांव का नाम: पुडुसेरी वेस्ट					
1	196/49/1	निजी	आवासीय (सूखा,)	0.0085 (हेक्टेयर)	0.0085
2	202/3	निजी	व्यावसायिक (सूखा)	0.0411 (हेक्टेयर)	0.0411
3	202/6	निजी	आवासीय (सूखा (सड़क))	0.0014 (हेक्टेयर)	0.0014
4	203/6	निजी	कृषि (गीला)	0.0035 (हेक्टेयर)	0.0035
5	203/7	निजी	कृषि (गीला)	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
6	215/31	निजी	आवासीय (सूखा)	0.0065 (हेक्टेयर)	0.0065
7	215/4	निजी	कृषि (गीला)	0.0098 (हेक्टेयर)	0.0098
8	215/5	निजी	कृषि (गीला)	0.0037 (हेक्टेयर)	0.0037
9	215/5/1	निजी	कृषि (गीला)	0.0007 (हेक्टेयर)	0.0007
10	215/5/5	निजी	गैर कृषि (गीला)	0.0044 (हेक्टेयर)	0.0044
11	215/6	निजी	कृषि (गीला)	0.0101 (हेक्टेयर)	0.0101
12	217/3	निजी	आवासीय (सूखा)	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
13	217/5	निजी	आवासीय (सूखा)	0.0018 (हेक्टेयर)	0.0018
14	217/8	निजी	आवासीय (सूखा)	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
15	218/1	निजी	व्यावसायिक (सूखा)	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
16	218/4	निजी	आवासीय (सूखा)	0.0097 (हेक्टेयर)	0.0097
17	218/5	निजी	व्यावसायिक (सूखा)	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
18	218/6	सरकारी	गैर कृषि (सूखा (पुराम्बोके))	0.0248 (हेक्टेयर)	0.0248
19	220/8	निजी	आवासीय (सूखा)	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
20	338/1	निजी	आवासीय (सूखा (जनता कुवां))	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
21	338/2	निजी	आवासीय (सूखा)	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
22	338/3	निजी	आवासीय (सूखा)	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
23	338/4	निजी	व्यावसायिक (सूखा)	0.0014 (हेक्टेयर)	0.0014

24	344/1	सरकारी	(पुरम्बोक (नहर))	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
25	350/7	निजी	गैर कृषि (सूखा (मंदिर))	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
Total					0.1822

[फा. सं. : NHAI/PIU-PKD/11154/Bharatmala/NH-544/Walayar-Vadakkancherry/LA/6L/3a/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4988(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH544 in the stretch of land from Km. 182.207 to Km. 235.702 (Office of the Special Deputy Collector , LANH ,Palakkad) in the district of PALAKKAD in the state of KERALA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, The Special Deputy Collector , CALA , NH, Palakkad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH544 in the stretch of land from Km. 182.207 to Km. 235.702 (Office of the Special Deputy Collector , LANH ,Palakkad) in the district of PALAKKAD in the state of KERALA

State: KERALA			District: PALAKKAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Palakkad					
Village: Pudukkottai West					
1	196/49/1	Private	Residential (Dry)	0.0085 (Hectare)	0.0085
2	202/3	Private	Commercial (Dry)	0.0411 (Hectare)	0.0411
3	202/6	Private	Residential (Dry (Road))	0.0014 (Hectare)	0.0014
4	203/6	Private	Agriculture (Wet)	0.0035 (Hectare)	0.0035
5	203/7	Private	Agriculture (Wet)	0.0038 (Hectare)	0.0038
6	215/31	Private	Residential (Dry)	0.0065 (Hectare)	0.0065
7	215/4	Private	Agriculture (Wet)	0.0098 (Hectare)	0.0098

8	215/5	Private	Agriculture (Wet)	0.0037 (Hectare)	0.0037
9	215/5/1	Private	Agriculture (Wet)	0.0007 (Hectare)	0.0007
10	215/5/5	Private	Non Agriculture (Wet)	0.0044 (Hectare)	0.0044
11	215/6	Private	Agriculture (Wet)	0.0101 (Hectare)	0.0101
12	217/3	Private	Residential (Dry)	0.0002 (Hectare)	0.0002
13	217/5	Private	Residential (Dry)	0.0018 (Hectare)	0.0018
14	217/8	Private	Residential (Dry)	0.0003 (Hectare)	0.0003
15	218/1	Private	Commercial (Dry)	0.0012 (Hectare)	0.0012
16	218/4	Private	Residential (Dry)	0.0097 (Hectare)	0.0097
17	218/5	Private	Commercial (Dry)	0.0012 (Hectare)	0.0012
18	218/6	Government	Non Agriculture (Dry (Puramboke))	0.0248 (Hectare)	0.0248
19	220/8	Private	Residential (Dry)	0.0015 (Hectare)	0.0015
20	338/1	Private	Residential (Dry (Public Well))	0.0006 (Hectare)	0.0006
21	338/2	Private	Residential (Dry)	0.032 (Hectare)	0.032
22	338/3	Private	Residential (Dry)	0.0004 (Hectare)	0.0004
23	338/4	Private	Commercial (Dry)	0.0014 (Hectare)	0.0014
24	344/1	Government	Non Agriculture (Puramboke (Canal))	0.013 (Hectare)	0.013
25	350/7	Private	Non Agriculture (Dry (Temple))	0.0006 (Hectare)	0.0006
				Total	0.1822

[F. No. NHAI/PIU-PKD/11154/Bharatmala/NH-544/Walayar-Vadakkancherry/LA/6L/3a/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director